


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 (शक)
No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 12th December, 2019/Agrahayana 21, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 12th December, 2019, and is hereby published for general information:—

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019
No. 47 OF 2019

[12th December, 2019.]

An Act further to amend the Citizenship Act, 1955.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2019.
- (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Short title and
commencement.

Amendment
of section 2.

2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;"

57 of 1955.

34 of 1920.

31 of 1946.

Insertion of
new section 6B.

3. After section 6A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Special
provisions as
to citizenship
of person
covered by
proviso to
clause (b) of
sub-section (1)
of section 2.

'6B. (1) The Central Government or an authority specified by it in this behalf may, subject to such conditions, restrictions and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, grant a certificate of registration or certificate of naturalisation to a person referred to in the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 2.

(2) Subject to fulfilment of the conditions specified in section 5 or the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, a person granted the certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (1) shall be deemed to be a citizen of India from the date of his entry into India.

(3) On and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, any proceeding pending against a person under this section in respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him:

Provided that such person shall not be disqualified for making application for citizenship under this section on the ground that the proceeding is pending against him and the Central Government or authority specified by it in this behalf shall not reject his application on that ground if he is otherwise found qualified for grant of citizenship under this section:

Provided further that the person who makes the application for citizenship under this section shall not be deprived of his rights and privileges to which he was entitled on the date of receipt of his application on the ground of making such application.

(4) Nothing in this section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the Sixth Schedule to the Constitution and the area covered under "The Inner Line" notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873.'

Reg. 5 of 1873.

Amendment
of section 7D.

4. In section 7D of the principal Act,—

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(da) the Overseas Citizen of India Cardholder has violated any of the provisions of this Act or provisions of any other law for time being in force as may be specified by the Central Government in the notification published in the Official Gazette; or";

(ii) after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no order under this section shall be passed unless the Overseas Citizen of India Cardholder has been given a reasonable opportunity of being heard."

Amendment
of section 18.

5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (ee), the following clause shall be inserted, namely:—

"(eei) the conditions, restrictions and manner for granting certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (1) of section 6B;"

6. In the Third Schedule to the principal Act, in clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment
of Third
Schedule.

'Provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than five years" in place of "not less than eleven years".'

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 47)

[12 दिसम्बर, 2019]

नागरिकता अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1955 का 57

“परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा;”।

1920 का 34

1946 का 31

नई धारा 6ख का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परन्तुक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध ।

'6ख. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस निमित्त किए गए आवेदन पर, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी ।

(2) धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा ।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन हो जाएगा:

परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हति पाया जाता है :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था ।

(4) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के अधीन अधिसूचित “आंतरिक रेखा” के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी ।’।

4. मूल अधिनियम की धारा 7घ में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,

1873 का विनियम 5 धारा 7घ का संशोधन ।

अर्थात् :—

“(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के उपबंधों का अतिक्रमण किया है ; या” ;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में, खंड (डड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डड) धारा 6ख की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की शर्तें, निर्बंधन और रीति ;”।

6. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परन्तु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में की किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि को “ग्यारह वर्ष से कम नहीं” के स्थान पर “पांच वर्ष से कम नहीं” के रूप में पढ़ा जाएगा ।’।

धारा 18 का संशोधन ।

तृतीय अनुसूची का संशोधन ।

राष्ट्रपति ने दि सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.